राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 500/241/NULM/तीन/2017-ALF Award दिनांक– 30-8-17

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा
   बदायूं, बिजनौर, गोण्डा, महाराजगंज, मथुरा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, संतकबीरनगर उ0प्र0।

विषय : **स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड (Swachhata Excllence Award for ALF)**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न भारत सरकार के पत्र सं0–K-13011(11)/3/2017-UPA I दिनांक 19.07.2017 एवं संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित ALF को स्वच्छता के क्षेत्र मे किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो हेतु "स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड" से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार आपके शहर मे गठित ए0एल0एफ0 पंजीकृत एवं रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त कर चुके हैं। जिसके अनुसार उक्त ए0एल0एफ0 "स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड" हेतु अर्हता पूरी करते हैं। जिसके दृष्टिगत गाइडलाइन के अनुसार ए0एल0एफ0 को अवार्ड हेतु नामांकित किया जाना है।

उक्त अवार्ड का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सामाजिक विकास मे स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने, निकाय को खुले मे शौच मुक्त बनाने के साथ ही स्वच्छ माडल निकाय बनाने एवं समुदाय की स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन की दिशा में किये जा रहे कार्यो/प्रयासों हेतु सामुदायिक ढ़ाचों को प्रोत्साहित करना है।

ALF को अवार्ड हेतु नामित किये जाने हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं :–

1. ALF को राज्य के विधिक नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए (सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्त 1860 के अन्तर्गत) तथा ALF ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत प्राविधानित रिवाल्विंग फण्ड रू0 50,000.00 प्राप्त कर लिया हो।
2. ALF के द्वारा नियमित बैठकों का आयोजन किया गया हो/जा रहा हो जिसमें स्वच्छता एवं सफाई एक एजेण्डा बिन्दु के रूप मे सम्मिलित हो जो बैठकों के कार्यवृत्त से परिलक्षित हो रहा हो।
3. ALF द्वारा अपने क्षेत्र विशेष मे स्वच्छता जागरूकता अभियान में सक्रिय भागेदारी करते हुए स्वच्छता एवं सफाई के प्रति क्षेत्र मे वृहद प्रचार–प्रसार के माध्यम से सफाई के प्रति आदतों का विकास तथा जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी हो/जा रही हो।
4. ALF द्वारा स्वच्छता एवं सफाई के अभिनवी प्रयास कर सफलता प्राप्त की हो जिससे निकाय को खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाने मे, कूडा कचरा निस्तारण हेतु, वातावरण के अनुरूप वेस्ट वाटर एवं कूडा–कचरा को दोबारा उपयोग युक्त बनाये जाने के किये गये प्रयासों के अभिलेखीकरण का प्रमाण होना।

इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों के संचालन करने वाले ALF को उक्त अवार्ड हेतु नामित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं संशोधित गाइडलाइन सूडा उ0प्र0 के वेबसाइट पर अपलोड है। गाइडलाइन का अध्ययन कर शहर में पंजीकृत ALF को मानकों के अनुसार तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के एनेक्सर–1 पर संलग्न प्रारूप में सुचारू रूप से भरकर आवश्यक सभी अभिलेखों के साथ जिला/शहर स्तर पर अर्ह ALF के प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों/नामांकन का मूल्यांकन शहर/जिला स्तरीय "चयन समिति" के माध्यम से किया जायेगा। मूल्यांकन उपरान्त शहर/जिला स्तर पर चयनित आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथियों तक निर्धारित प्रारूप में एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के माध्यम से चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर	–	अध्यक्ष
प्रोजेक्ट आफिसर, डूडा	–	सदस्य
प्रोजेक्ट मैनेजर PMU, SBM	–	सदस्य
अथवा		
स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकत्री		
(यदि SBM का PMU शहर में नहीं है तो)		

शहर/जिला स्तरीय पर चयन समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं संशोधित गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–5 Evalution Critera for selection के अनुक्रम मे आवेदन पत्रों/नामांकन का परीक्षण कर एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को निधारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सभी नामांकन प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को ससमय भेजा जा सके। नामांकन निर्धारित समय सीमा मे ही सभी स्तरों शहर/राज्य/भारत सरकार के स्तर पर स्वीकार किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि नामांकन की समस्त कार्यवाही समय सीमा के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहर मे पंजीकृत एवं रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त ALF का उपरोक्त के आलोक मे अर्हता सुनिश्चित कराकर नामांकन हेतु तेजी से ALF को क्रियाशील करते हुए एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 से समन्वयन कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त नामांकन की अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शसन।
2. परियोजना अधिकारी/सी0एम0एम0, एस0डी0आई0 को आर0ओ0 को तत्काल प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालनार्थ।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को संशोधित गाइडलाइन एवं इस पत्र को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों के संचालन करने वाले ALF को उक्त अवार्ड हेतु नामित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं संशोधित गाइडलाइन सूडा उ0प्र0 के वेबसाइट पर अपलोड है। गाइडलाइन का अध्ययन कर शहर में पंजीकृत ALF को मानकों के अनुसार तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के एनेक्सर–1 पर संलग्न प्रारूप में सुचारू रूप से भरकर आवश्यक सभी अभिलेखों के साथ जिला/शहर स्तर पर अर्ह ALF के प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों/नामांकन का मूल्यांकन शहर/जिला स्तरीय "चयन समिति" के माध्यम से किया जायेगा। मूल्यांकन उपरान्त शहर/जिला स्तर पर चयनित आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथियों तक निर्धारित प्रारूप में एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के माध्यम से चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर	–	अध्यक्ष
प्रोजेक्ट आफिसर, डूडा	–	सदस्य
प्रोजेक्ट मैनेजर PMU, SBM	–	सदस्य

अथवा

स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकत्री

(यदि SBM का PMU शहर में नहीं है तो)

शहर/जिला स्तरीय पर चयन समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं संशोधित गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–5 Evalution Critera for selection के अनुक्रम मे आवेदन पत्रों/नामांकन का परीक्षण कर एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को निधारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सभी नामांकन प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को ससमय भेजा जा सके। नामांकन निर्धारित समय सीमा मे ही सभी स्तरों शहर/राज्य/भारत सरकार के स्तर पर स्वीकार किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि नामांकन की समस्त कार्यवाही समय सीमा के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहर मे पंजीकृत एवं रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त ALF का उपरोक्त के आलोक मे अर्हता सुनिश्चित कराकर नामांकन हेतु तेजी से ALF को क्रियाशील करते हुए एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 से समन्वयन कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त नामांकन की अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शसन।
2. परियोजना अधिकारी/सी0एम0एम0, एस0डी0आई0 को आर0ओ0 को तत्काल प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालनार्थ।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को संशोधित गाइडलाइन एवं इस पत्र को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक